UPDE010010082017

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–1, देवरिया।
पीठासीन अधिकारी–काशी नाथ (उच्चतर न्यायिक सेवा)–UP 6231

सत्र परीक्षण संख्या–77/2017
राज्य बनाम अखिलेश कुमार गुप्ता
अपराध संख्या–220/2016
धारा–302, 504 व 507 भा0दं0सं0
थाना भटनी, जिला देवरिया

दिनांक–23–07–2026

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। राज्य की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) उपस्थित हैं। पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के परिशीलन से प्रकट होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त अखिलेश कुमार गुप्ता की मृत्यु के सम्बन्ध में सम्बन्धित थाने से प्राप्त आख्या 61ख/1, मुखिया पूनम देवी, ग्राम पंचायत राज नवतन, प्रखण्ड विजयीपुर, जिला गोपालगंज (बिहार) द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र जिसमें अभियुक्त अखिलेश गुप्ता की मृत्यु दिनांक–14–01–2026 को मुम्बई के हास्पिटल में होने का उल्लेख है। मृत्यु प्रमाण पत्र कागज संख्या–61ख पत्रावली में संलग्न है, जिसके अवलोकन से प्रकट होता है कि अभियुक्त अखिलेश गुप्ता की मृत्यु दिनांक–14–01–2026 को हो चुकी है। प्रस्तुत मामले में अभियुक्त अखिलेश गुप्ता पुत्र गेना लाल गुप्ता, निवासी नवतन पोस्ट व थाना विजयीपुर, जिला गोपालगंज, बिहार की मृत्यु होने के कारण उसके विरूद्ध प्रस्तुत प्रकरण को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं रह गया है।

अतः अभियुक्त अखिलेश गुप्ता पुत्र गेना लाल गुप्ता, निवासी नवतन पोस्ट व थाना विजयीपुर, जिला गोपालगंज, बिहार की मृत्यु के कारण वाद की कार्यवाही उसके विरूद्ध उपसमित की जाती है। सत्र परीक्षण संख्या–77/2017, राज्य बनाम अखिलेश कुमार गुप्ता, अपराध संख्या–220/2016 अन्तर्गत धारा–302, 504 व 507 भा0दं0सं0, थाना भटनी, जिला देवरिया की पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार की जाये।

ह0

(काशी नाथ)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–1, देवरिया।